परिपत्र

रा.आ.बैंक(नदि)/डीओएस/डीएमसी.02.04.2020/2019-20
02 अप्रैल, 2020

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां (आ.वि.कं.)

महोदय/महोदया,

<u>पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) को विभिन्न विवरणियां प्रस्तुत करने हेतु नियत तिथि का विस्तार</u>

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा कोविड 19 महामारी के चलते आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.) के सम्मुख आने वाली कठिनाई के निवारण हेतु, आवास वित्त कंपनियों (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 के अनुच्छेद 46 के प्रावधानों के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद द्वारा-

(i) सभी मासिक विवरणियाँ जिनको दिनांक 30 जून, 2020 तक प्रेषित किया जाना था, इस हेतु निर्धारित समयावधि से 15 दिन का अतिरिक्त समय विवरणी प्रस्तुत करने हेतु प्रदान किया जाता है, तथा

(ii) सभी तिमाही, छमाही एवं वार्षिक विवरणियाँ जो कि दिनांक 30 जून, 2020 तक देय थी, इस हेतु निर्धारित समयावधि से 30 दिन का अतिरिक्त समय विवरणियां प्रस्तुत करने हेतु प्रदान किया जाता है।

2. राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा समय अवधि विस्तार विनिर्दिष्ट अवधि और विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए आ.वि.कं. को दिया जा रहा है, तथा इसे सामान्य तौर पर इन निर्देशों के किसी प्रावधान से छूट अथवा अन्यथा ना माना जाए।

3. उपरोक्त उल्लिखित दिनों में छुट्टियां एवं सप्ताहांत शामिल होंगे। उपरोक्त विस्तार आवश्यकता के आधार पर मांगी जानी वाली विवरणियों/जानकारियों के लिए लागू नहीं होगा। उचित प्रयास के आधार पर पूर्व विवरणियों के प्रस्तुत करने में सक्षम आ.वि.कं. ऐसा करना जारी रख सकती है।

4. इस संबंध में अन्य विनियामकों/प्राधिकरणों के द्वारा जारी किये जाने वाले निर्देशों का जहां यथा संभव हो पालन किया जाना चाहिए चूंकि वे इन निर्देशों के साथ असंगत हैं।

यह व्यवस्था अगली समीक्षा तक जारी रहेगी।

भवदीय,

ह/-

(वी.वैदीश्वरण)

महाप्रबंधक